

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 111 / नि.अ..मा.वि./ अनु. छात्रा./ सत्र 2018-19 / पार्ट1/ १३२७२

जयपुर, दिनांक: १९/११/२०१९

आदेश

विषय:- अल्पसंख्यक बालक छात्रावास कामां (भरतपुर) के संबंध में।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में निम्नवत तालिका में अंकित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के भवन परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	स्वीकृत छात्रावास (मुख्यालय / ब्लॉक)	स्वीकृत छात्रावास का प्रकार एवं क्षमता	वर्तमान भवन जो पूर्व में स्वीकृत किया गया है	नवीन भवन का पता
1.	ब्लॉक कामां, भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	पृथ्वी सिंह सोनी, पवन कुंज कॉलोनी, कामां	श्री गोविन्दराम का मकान निवासी पवन कुंज कॉलोनी, कामां

१९.११.१९
(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांक: प. 111 / नि.अ..मा.वि./ अनु. छात्रा./ सत्र 2018-19/ पार्ट1/ १३२७३-१०

जयपुर, दिनांक: १९/११/२०१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर भरतपुर को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ।
7. अधिकृत स्वयंसेवी संस्था.....।
8. सूचना सहायक को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

राधेश्याम डेलू
उप निदेशक (द्वितीय)